प्रेस नोट दिनाकं 11.07.2025 जनपद प्रतापगढ़

साइबर थाना व साइबर सेल जनपद प्रतापगढ़

साइबर थाना एवं जनपदीय साइबर सेल प्रतापगढ़ द्वारा ₹20 करोड़ से अधिक की ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग एवं लोन एप के माध्यम से की जा रही अंतरराज्यीय साइबर ठगी का सफल पर्दाफाश – तीन अभियुक्त गिरफ्तार, 16 राज्यों से जुड़ी 55 शिकायतों का हुआ खुलासा

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय डा0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन व नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी महोदय श्री संजय राय के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में वादी मुकदमा आजम अली पुत्र मरो0 इस्लाम निवासी ग्राम वीवीपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर साइबर थाना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 21/25 धारा 318(2)/319(2) बीoएनo एसo व 66 C आई टी ऐक्ट दर्ज कर वादी मुकदमा के साथ अन्तराज्यीय साइबर अपराधियों के गिरोह के सदस्यों द्वारा लोन दिलाने का लालच देकर खाता खुलवाने व उसका इस्तेमाल साइबर अपराध में करने के सम्बन्ध में जांच/विवेचना के क्रम मेंसाइबर क्राइम थाना जनपद प्रतापगढ़ व साइबर सेल प्रतापगढ़ द्वारा सम्मिलित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11 जुलाई 2025 को समय 08.50 बजे एo टीo एलo ग्राउन्ड प्रतापगढ़ से 3 नफ़र अभियुक्तगण को गिरफ़्तार किया गया, जिनके कब्जे से उक्त घटना में प्रयुक्त मोबाईल व अन्य सुसंगत दस्तावेज बरामद हुए।

पूछ ताछ का विवरण व अपराध का तरीका-

गिरफ़्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ से संक्षिप्त विवरण क्रमशः1) शिवम तिवारी पुत्र सूर्यप्रकाश तिवारी निवासी सगरा पूरे ओझा कोतवाली नगर प्रतापगढ़ 2) अनुराग शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला निवासी शुकुलपुर दहिलामऊ कोतवाली नगर प्रतापगढ़ 3) अंकित पाल पुत्र प्रभाकर पाल निवासी भंगवा चुंगी कोतवाली नगर प्रतापगढ़ बताया गया। इनके पास से बरामद मोबाईल व अन्य दस्तावेजों की जांच करने पर साइबर अपराध संबंधित तथ्य प्रकाश में आया जिसके बारे में पूंछताछ किया गया तो अंकित उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम लोग वर्तमान में हो रहे साइबर

अपराध गेमिंग फ्रॉड , ट्रैडिंग के नाम पर धोखाधड़ी तथा लोन व नौकरी के नाम पर सीधे साधे लोगों को झांसे में लेकर उनके खाते से पैसे निकाल लेते हैं , हमारा एक संगठित गिरोह है हमारे गिरोह के सक्रिय सदस्य शिवम व अनुराग हैं इनके द्वारा आम-जन मानस को झांसे में लेकर धोखे से उनके खाते खोलवाकर उनके खाते में अन्य किसी व्यक्ति के नाम पते पर सिम एक्टिवेट करके खाते से प्राप्त बैंकिग किट व एक्टिवेटड सिम हमें देते हैं तथा हमारे अन्य साथी जो बिहार, असम, बंगाल तथा अन्य राज्यों में हैं, हम लोग मिलकर टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर ऐसे लोगों को चिह्नित करके जोड़ते हैं जो गेमिंग व ट्रेडिंग एप में रुचि लेते हैं और शुरआती दौर में उनमें जब व थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कुछ फायदा देते हैं इससे वो लालच में आकर और अधिक पैसा लगाते हैं फिर हम फर्जी एप जनरेट करके उसी एप में पैसा इन्वेस्ट कराते हैं तथा उनके पोर्टफोलियों में इन्वेस्ट किया गया धनराशि दो गुना प्रदर्शित करवाया जाता है , जिसके लालच में आकर उनके द्वारा लाखों रुपया इन्वेस्ट किया जाता है जिसे हम लोग उपरोक्त दूसरे खातों में स्थानान्तरित कर आपस में बाँट लेते थे । जब खाते फ्रिज हो जाते थे तो हम अपने गिरोह के सक्रिय सदस्यों द्वारा और खातों को मँगवाकर उनमें पैसे स्थानान्तरित करवाये जाते थे । उक्त खातों से सम्बन्धित कागजात हमारे पास मौजूद हैं।

साइबर पुलिस पोर्टल के विश्लेषण से प्रकाश में आये तथ्य –

अभियुक्तगण के पास से बरामदसुदा दस्तावेज व मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो इनके तथा अन्य खातों में अत्याधिक धनराशि का स्थानान्तरण पाया गया जिसको साइबर पुलिस पोर्टल पर चेक करने पर लगभग 200,586,879/- रुपये 20 करोड़, 05 लाख , 86 हजार, 8 सौ 79 रुपये कुल 16 राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली , तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश , केरल, छत्तीसगढ़ , आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटका, उत्राखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश,राजस्थान,उड़ीसा) में 55 शिकायतों में पर फ्राड धनराशि का रिपोर्ट किया गया है।

नोट- जाँच के दौरान यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के सम्बन्ध पश्चिम बंगाल , बिहार एवं असम जैसे राज्यों के अन्य साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं , जिनके माध्यम से यह साइबर ठगी का नेटवर्क चलाया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण-

1. दो अदद स्मार्टफोन .

2. दो अदद कीपैड फोन।

3. दो अदद सिम कार्ड।

4. बैंक पासबुक 13 अदद।

5. 09 अदद एटीएम कार्ड की प्रति।

6. 05 अदद चेक की प्रति।

7. 03 अदद पेन कार्ड की प्रति।

8. 06 अदद आधार कार्ड की प्रति।

9. 34 अदद क्यूआर कोड।

10. 32 अदद यूएसडीटी टान्जेक्शन की प्रति।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1) शिवम तिवारी पुत्र सूर्यप्रकाश तिवारी निवासी सगरा पूरे ओझा कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

2) अनुराग शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला निवासी शुकुलपुर दहिलामऊ कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

3) अंकित पाल पुत्र प्रभाकर पाल निवासी भंगवा चुंगी कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

शिवम तिवारी पुत्र सूर्यप्रकाश तिवारी निवासी सगरा पूरे ओझा कोतवाली नगर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

01. मु0अ0सं0 412/2024 धारा 115(2), 351(2), 352 बीएनएस व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 21/25 धारा 318(2)/319(2) बी०एन० एस० व 66 C आई टी ऐक्ट साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़

अनुराग शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला निवासी शुकुलपुर दहिलामऊ कोतवाली नगर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 39/2024 धारा 147, 148, 149, 323, 325, 34, 506, 504 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 21/25 धारा 318(2)/319(2) बी०एन० एस० व 66 C आई टी ऐक्ट साइबर थाना जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण –

साइबर थाना का विवरण

01- प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सिंह ,2. सीसीओ सत्येन्द्र कुमार यादव , 3. सीसीओ पंकज पाल

साइबर सेल का विवरण

1. उ0नि0 विन्धयवासिनी तिवारी , 2. सीसीओ बिपिन बिहारी वर्मा, 3. सीसीओ अखिलेश उपाध्याय, 4. सीसीओ दिग्विजय सिंह , 5. सीसीओ सौरव सिंह, 6. सीसीओ ललिता तोमरगया गिरफ्तार-

थाना लीलापुर,जनपद प्रतापगढ़

अवैध गांजा के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 870 ग्राम अवैध गांजा के साथ थाना लीलापुर पुलिस की गिरफ्त में-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के जटाऊ बीर बाबा मन्दिर के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेत्तृत्व में उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति, का0 गौरव यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, थाना लीलापुर क्षेत्र के जटाऊ बीर बाबा मन्दिर के पास से 01 अभियुक्त अजय सिंह पुत्र बाम्बे प्रसाद सिंह निवासी

ग्राम तुलापुर सराय संसारा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को कुल 01 किलो 870 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 870 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0स0 160/25 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय सिंह पुत्र बाम्बे प्रसाद सिंह निवासी ग्राम तुलापुर सराय संसारा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- कुल 01 किलो 870 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 अमरेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 अजय प्रजापति, का0 गौरव यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या क प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बछवल में अभियुक्तगण के द्वारा पुरानी रंजिश में मारपीट व हत्या का प्रयास किया गया

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को बछवल पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आरोपीगणों द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.07.2025 को ग्राम बछवल में मारपीट, हत्या का प्रयास करने के प्रकरण में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 253 /25 धारा 109(1), 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 333 बीएनएस बनाम 06 नामजद व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में थाना प्रभारी लालगंज श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह कां० सुमित शर्मा, कां० नितीश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज मे पंजीकृत मु0अ0सं0 253 /25 धारा 109(1), 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 333 बीएनएस थाना लालगंज से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त झबलू उर्फ जाबिर पुत्र इंसान अली निवासीग्राम बछवल थाना लालंगज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष को थानाक्षेत्र लीलापुर के बछवलपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. झबलू उर्फ जाबिर पुत्र इंसान अली निवासीग्राम बछवल थाना लालंगज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 25 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह कां० सुमित शर्मा, कां० नितीश यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना मे प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी बंदूक SBBL 12 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर किया गया बरामद

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गौरीगंज जाने वाली रोड अमावा बार्डर नाले के पास गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.06.2025 को आरोपीगणो द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर व कट्टा- बन्दूक लेकर वादी के घर वालो की रास्ता रोककर गाली-गलौज करते हुए मारना पीटना व जान से मारने की नियत से गोली मार देना। जिससे गम्भीर चोंट आना व बेहोश हो जाना तथा मार पीट के दौरान 01 व्यक्ति का बाँया हाथ टूट जाना व बन्दूक कट्टा से फायर करते हुए दहशत फैलाना तथा जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर मु0अ0सं0 95/25 धारा 126(2), 191(2), 191(3), 190, 109(1), 117(2), 115 (2), 352, 351 (3), 288 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की गईं। गठित टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही घटना से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह का0 अनिल कुमार यादव, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 11.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 126(2), 191(2), 191(3), 190, 109(1), 117(2), 115 (2), 352, 351 (3), 288 BNS व धारा 27/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त 1. शिवप्रताप पुत्र रामप्यारे नि०ग्रा० जरियारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के गौरीगंज जाने वाली रोड अमावा बार्डर नाले के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी बंदूक SBBL 12 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त में बढोत्तरी धारा 25 / 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त शिवप्रताप उपरोक्त द्वारा बताया गया कि यह मेरी लाइसेंसी बंदूक है । दिनांक 23.06.2025 को जब कुछ लोग हमारे घर के सामने व घर में मारपीट तथा लूटपाट कर रहे थे, तो मैंने इसी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया था। जिससे उन लोगों को फायर करने से चोटें लगी थीं। हम लोगों के खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखा गया है। मैं पकडे जाने के डर के कारण आप लोगों को देखकर घबरा गया था और घबरायी हुई आँखो से देख रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड लिया है। यह वही बंदूक है जिससे मैंने फायर किया गया था और विपक्षी लोगो को चोटे लगी थी तथा बट कवर में 02 अदद जिंदा कारतूस व एक अदद फायर किया गया खोखा कारतूस भी लगा है। मुझे पूर्व में फालिस भी मारा है, जिससे मै ज्यादा चलने फिरने व भागने मे असमर्थ भी हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवप्रताप पुत्र रामप्यारे नि०ग्रा० जरियारी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी बंदूक SBBL 12 बोर व दो अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजेश कुमार शुक्ला मय हमराह का0 अनिल कुमार यादव, का0 जुगेन्द्र प्रताप सिंह थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थानाक्षेत्र कुण्डा के मवई बाईपास राधे-राधे होटल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज कुमार सिंह मय हमराह का0 विवेक कुमार, का0 अजीत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना कुण्डा में पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त अंकित यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र स्व0 बाबूलाल यादव निवासी ग्राम विरहटा मजरे कन्दरावा थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष को थानाक्षेत्र कुण्डा के मवई बाईपास राधे-राधे होटल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंकित यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र स्व0 बाबूलाल यादव निवासी ग्राम विरहटा मजरे कन्दरावा थाना ऊँचाहार जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मनोज कुमार सिंह मय हमराह का0 विवेक कुमार, का0 अजीत यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

भतीजे के साथ मारपीट, हत्या के प्रयास फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को थाना मान्धाता पुलिस ने किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा मारपीट, हत्या के प्रयास में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लाठी की गई बरामदगी

अभियुक्त को थानाक्षेत्र मान्धाता के कुटुलिया शौभीपुर नहर पर पिपरी स्कूल पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 09.07.2025 को वादिनी का पुत्र 12 वर्षीय पड़ोस के रंजीत के साथ शौच हेतु गया था। वापस आने पर वादिनी के जेठ फूलचंद पुत्र रामखेलावन द्वारा गाली-गलौज किया गया और विरोध करने पर उसके पुत्र के सिर पर लाठी से प्रहार कर घायल कर दिया गया। बीच-बचाव करने पर वादिनी को भी चोट आई। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई तथा घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मान्धाता ले जाया गया, जहाँ से जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 90/25 धारा 352/115(2)/109(1)/51 (3) बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात मय हमराह का0 रणवेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 90/25 धारा 352/115(2)/109(1)/351 (3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र राम खेलावन निवासी ग्राम धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष को थानाक्षेत्र मान्धाता के कुटुलिया शौभीपुर नहर पर पिपरी स्कूल पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरा नाम फूलचन्द पुत्र रामखेलावन है । मैने दिनांक-09.07.2025 को अपने भतीजे के सर पर लाठी मार दिया था। जिसमे मेरे खिलाफ मुकदमा लिख गया था। अभियुक्त फूलचन्द उपरोक्त से मारपीट मे प्रयुक्त लाठी के बारे में पूछा गया तो फूलचन्द ने बताया कि मारपीट के बाद भागते समय लाठी मैने कुएँ का पास फेंक दिया था । अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

फूलचन्द्र पुत्र राम खेलावन निवासी ग्राम धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 57 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 प्रभात मय हमराह का0 रणवेन्द्र सिंह थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर,जनपद प्रतापगढ़

अवैध गांजा व अवैध-तमंचा के साथ 02 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा व 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर के साथ बरामद किया गया।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बरदैत पुलिया के बगल मठिया सिंधौर को जाने वाली कच्ची सड़क ग्राम मठिया सिंधौर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेत्तृत्व में स्पेशल टीम प्रतापगढ़- उ0नि0 अमित चौरसिया, हे0का0 महेश सिंह, का0 राहुल यादव, का0 अमोघ सिंह, का0 सुनील यादव का0, आनंद यादव, का0 वीरेंद्र यादव, सर्विलांस सेल- का0 संजय यादव व थाना लीलापुर के उ0नि0 शहंशाह खान, उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी बाबूगंज मय हमराह हे0का0 एजाज खान, का0 संतोष कुमार, का0 रंजीत बाबू, का0 राजकिशोर यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बरदैत पुलिया के बगल मठिया सिंधौर को जाने वाली कच्ची सड़क ग्राम मठिया सिंधौर के पास से 02 अभियुक्तों, 1. मुकीम खान पुत्र रज्जन खाँ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम दिवान का पुरवा रानीगंज कैथोला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 02. अब्दुल हमीद पुत्र अलेमान खान उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम राहटीकर कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मुकीम खान उपरोक्त के कब्जे से कुल 02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा एवं अभियुक्त अब्दुल हमीद उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 162/25 धारा 8/20 NDPS Act व व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त अब्दुल हमीद उपरोक्त द्वारा बताया कि मैं अवैध गांजा काफी समय से खरीदता व बेचता हूँ। जिसको मै खरीदकर छुपाने हेतु ले जा रहा था।

अभियुक्त मुकीम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि कट्टा मै अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ, क्योकि मेरी पहली पत्नी की तरफ से मुझ बार-बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। आज मुझे अब्दुल हमीद से रिश्तेदारी चलने की बात कहकर अपने साथ लिवा लिया था और अब्दुल हमीद को एक व्यक्ति शमशेरगंज बाजार में पालीथीन देकर चला गया था । हम लोग वापस अपने घर जा रहे थे, तभी आपने हम लोगो को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मुकीम खान पुत्र रज्जन खाँ उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम दिवान का पुरवा रानीगंज कैथोला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

02. अब्दुल हमीद पुत्र अलेमान खान उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम राहटीकर कुरैशी का पुरवा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

1. कुल 02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा बरामद।
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. स्पेशल टीम प्रतापगढ़- उ0नि0 अमित चौरसिया, हे0का0 महेश सिंह, का0 राहुल यादव, का0 अमोघ सिंह, का0 सुनील यादव का0, आनंद यादव, का0 वीरेंद्र यादव,
2. सर्विलांस सेल- का0 संजय यादव
3. थाना लीलापुर पुलिस- उ0नि0 शहंशाह खान, उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी बाबूगंज मय हमराह हे0का0 एजाज खान, का0 संतोष कुमार, का0 रंजीत बाबू, का0 राजकिशोर यादव।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

कृपया सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार -

सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर डाला गया था आपत्तिजनक पोस्ट

शासन के निर्देश पर सोशल मीडिया पर रखी जा रही है कड़ी नजर

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट व भ्रामक/अफवाह फेलाने पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर की जा रही है त्वरित कार्यवाही-

सोशल मीडिया पर अभियुक्त द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया था जिस पर सोशल मीडिया सेल प्रतापगढ़ द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर थाना कुण्डा पुलिस को जांच कर कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया था। थाना कुण्डा पुलिस द्वारा आपत्तिजनक वायरल फेसबुक पोस्ट की जांच की जा रही थी।

सोशल मीडिया पर जनपदीय मीडिया सेल द्वारा की जा रही है निरंतर मानिटरिंग-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना कुण्डा के उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति मय हमराह कां0 विवेक कुमार व कां0 अजीत यादव द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त आलोक पुत्र राजाराम निवासी भावनगर सरियावां थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 11.07.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 185/2025 धारा 351(4) बी0एन0एस0 व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आलोक पुत्र राजाराम निवासी भावनगर सरियावां थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति मय हमराह कां0 विवेक कुमार व कां0 अजीत यादव थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही जारी है। शासन के मनसा के अनुरूप सोशल

मीडिया में प्रसारित होने वाली भ्रामक खबरों, अफवाहों एवं सांप्रदायिक/ आपत्तिजनक पोस्ट पर जनपद सोशल मीडिया सेल द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे अपराध को कारित करने वाले सोशल मीडिया में एक्टिव अपराधियों को जनपदीय पुलिस द्वारा चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। आप सभी से अपील है कि सोशल मीडिया में भ्रामक / भड़काऊ खबर प्रसारित न करें।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

कृपया सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें-

थाना उदययपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार -

सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंसटाग्राम पर डाला गया था आपत्तिजनक पोस्ट

शासन के निर्देश पर सोशल मीडिया पर रखी जा रही है कड़ी नजर

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट व भ्रामक/अफवाह फेलाने पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर की जा रही है त्वरित कार्यवाही

सोशल मीडिया पर अभियुक्त द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया था जिस पर सोशल मीडिया सेल प्रतापगढ़ द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर थाना उदयपुर पुलिस को जांच कर कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया था। थाना उदयपुर पुलिस द्वारा आपत्तिजनक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट की जांच की जा रही थी

सोशल मीडिया पर जनपदीय मीडिया सेल द्वारा की जा रही है निरंतर मानिटरिंग

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी

लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 श्री घनश्याम यादव द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अभियुक्त अजय पुत्र नन्हें लाल निवासी ग्राम पूरे जियान तिवारी रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 11.07.2025 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना उदयपुर में मु0अ0सं0 102/2025 धारा 353(3) बी0एन0एस0 व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।*

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजय पुत्र नन्हें लाल निवासी ग्राम पूरे जियान तिवारी रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0नि0 घनश्याम यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरंतर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही जारी है। शासन के मनसा के अनुरूप सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली भ्रामक खबरों, अफवाहों एवं सांप्रदायिक/ आपत्तिजनक पोस्ट पर जनपद सोशल मीडिया सेल द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे अपराध को कारित करने वाले सोशल मीडिया में एक्टिव अपराधियों को जनपदीय पुलिस द्वारा चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। आप सभी से अपील है कि सोशल मीडिया में भ्रामक / भड़काऊ खबर प्रसारित न करें।

डॉ अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़